[illegible] जिला कलक्टर भरतपुर

[illegible] धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

[illegible] जाति जाट निवासी ग्राम अधैयाखुर्द तहसील कुम्हेर

अपीलान्ट

बनाम

[illegible] जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर दिनांक 27.2.2018 प्रकरण संख्या 47/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम संजयसिंह

उपस्थित :

1. श्री सुभाषचंद शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 5.11.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 27.2.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश में सम्वत 2074 में ग्राम अधैयाखुर्द किस्म बंजड, गै0मु0 मरघट, गै0मु0 खोर राजकीय भूमि खसरा नम्बर 963/0.13, 964/0.16, 916/0.26, 968/0.09969/0.09 कुल रकबा 0.73 है0 में से रकबा 0.60 है0 भूमि पर अनाधिकृत रूप से लाहा व गेहूं बोकर [illegible] का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपीलान्ट पर [illegible] [illegible] 660 रूपये की [illegible]

बेदखल कर अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम किये जाने के आदेश पारित किये गये है। साथ ही गत सम्वत में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के परिणामस्वरूप पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से भी अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

पैरोकार सरकार एवं वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश में सम्वत 2074 में ग्राम अधैयाखुर्द किस्म बंजड, गै0मु0 मरघट, गै0मु0 खोर राजकीय भूमि खसरा नम्बर 963/0.13, 964/0.16, 916/0.26, 968/0.09, 969/0.09 कुल रकबा 0.73 है0 में से रकबा 0.60 है0 भूमि पर अनाधिकृत रूप से लाहा व गेहूं बोकर अपीलान्ट संजयसिंह का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपीलान्ट पर लगान राशि 13.20 रूपये का पचास गुना राशि 660 रूपये की शास्ती आरोपित करते हुये मौके से बेदखल कर अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम किये जाने के आदेश पारित किये गये है। साथ ही गत सम्वत में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के परिणामस्वरूप पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से भी अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। इस संबध में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की ओर से स्वयं का हस्ताक्षरित शपथ–पत्र पेश करते हुये निवेदन किया गया कि ".....मेरा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 963/0.13, 964/0.16, 916/0.26, 968/0.09, 969/0.09 वाकै ग्राम अधैयाखुर्द की 0.60 है0 भूमि या अन्य रकबा पर कोई कब्जा नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 20.2.2018 को ही कब्जा हटा दिया गया है तथा आराजी कब्जे राज ले ली गई है। मैं शपथपर्वूक बयान करता हूं कि मैं भविष्य में कोई भी कब्जा या अतिक्रमण उक्त राजकीय भूमि पर नहीं करूंगा।....." साथ ही इस तथ्य की पुष्टि के संदर्भ में अपील के बिन्दु संख्या 6 की ताईद की गई जिसमें अपीलान्ट ने कब्जा हटाये जाने के संदर्भ में स्पष्ट अंकित किया गया है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने संबधी प्रस्तुत शपथ एवं भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण न किये जाने की मंशा के मध्यनजर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त कर अपील आंशिक स्वीकार योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाते है हुये तहसील अदालत तहसीलदार कुम्हेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2

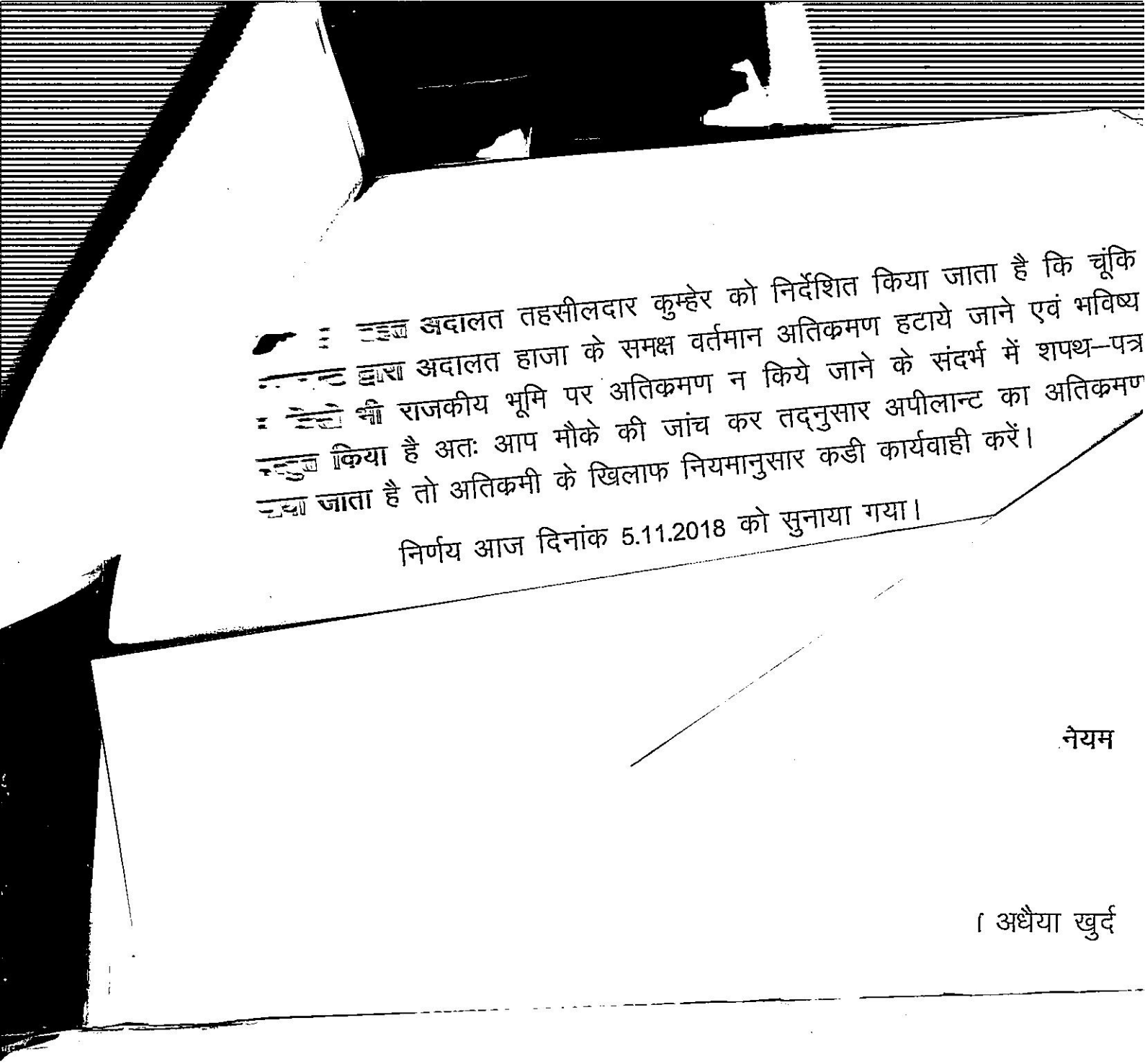

अदालत तहसीलदार कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि चूंकि
द्वारा अदालत हाजा के समक्ष वर्तमान अतिक्रमण हटाये जाने एवं भविष्य
भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण न किये जाने के संदर्भ में शपथ–पत्र
किया है अतः आप मौके की जांच कर तद्नुसार अपीलान्ट का अतिक्रमण
जाता है तो अतिक्रमी के खिलाफ नियमानुसार कडी कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2018 को सुनाया गया।

नेयम

अधैया खुर्द